राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 39/2018/बांसवाड़ा.
(सम्बन्धित अपील संख्या–1927/2016/बांसवाड़ा)

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन–II, बांसवाड़ा. .....प्रार्थी.

बनाम

मैसर्स ओटिस एलिवेटर कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड,
471/5, राजापार्क, जयपुर. .....अप्रार्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री आर. के. खदाव, उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 19/07/2018

निर्णय

1. प्रार्थी राजस्व द्वारा यह परिशोधन प्रार्थना–पत्र राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1927/2016/बांसवाड़ा में पारित किये गये आदेश दिनांक 04.05.2018 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना–पत्र में अंकित किया गया है कि उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी का नाम/पता **मैसर्स ओटिस एलिवेटर कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, बैंगलोर** के स्थान पर **मैसर्स ओटिस एलिवेटर कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, जयपुर** अंकित किया गया है, उक्त त्रुटि रेकॉर्ड से परिलक्षित होने से संशोधित की जावे।

3. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की बहस सुनने एवं रेकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात् अपील संख्या 1927/2016/बांसवाड़ा निर्णय दिनांक 04.05.2018 के उनवान में अपीलार्थी के पते में संशोधन किया जाता है, जो **मैसर्स ओटिस एलिवेटर कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, बैंगलोर** पढ़ा जावे। इस संशोधन आदेश की प्रति मूल पत्रावली में रखी जावे एवं पक्षकारों को प्रेषित की जावे।

4. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य